

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 125/2015

दायर दिनांक: 03.09.2015

## उनवान

1. मांग्या आयु 70 वर्ष पुत्र मन्ना जाति मेघवाल निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## बनाम

1. रमेशचन्द आयु 32 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल इन्द्रागांधी नगर पावर हाउस के पास डी०सी०एम० कोटा।
2. लालचन्द आयु 25 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल पत्थर गली शंकर किराना स्टोर के पास बापू नगर बालिता रोड कुल्हाडी कोटा।
3. मोहरचन्द आयु 22 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल पत्थर मण्डी बनवारी किराना स्टोर के सामने बापू नगर बालीता रोड कुल्हाडी कोटा राज०।
4. किशनी आयु 65 वर्ष पुत्री मन्ना पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल हाल बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां राज०।
5. सुरज्या आयु 55 वर्ष पुत्री मन्ना पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोटड़ा तहसील बारां जिला बारां राज०।
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

निर्णय

दिनांक 18/07/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खुरी तह० अटरू की ख०नं० 1110 की 0.07 है०, 1124 की 0.07 है०, 1312 का 0.27

है0, 1313 की 1.06 है0, 1350 की 0.34 है0, 1361 की 0.02 है0, 1364 की 0.43 है0, 1366 की 0.17 है0 कुल किता 8 की 2.43 है0 आराजी का निर्णय दिनांक 18.04.2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1260 दिनांक 26.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2019 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू की ख0नं0 1110 की 0.07 है0, 1124 की 0.07 है0, 1312 का 0.27 है0, 1313 की 1.06 है0, 1350 की 0.34 है0, 1361 की 0.02 है0, 1364 की 0.43 है0, 1366 की 0.17 है0 कुल किता 8 की 2.43 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. मांगीलाल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल सा0 देह के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1	खुरी	मांगीलाल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल सा0 देह का हिस्सा	1124	0.07 है0	चाही-1	2.59
			1313 दक्षिण	0.66 है0	बरानी-2	4.62
			1350 दक्षिण	0.17 है0	बरानी-1	1.53
			1364 दक्षिण	0.31 है0	बरानी-2	2.17
			किता 4	1.21 है0		10.91

2. रमेशचन्द, लालचन्द, मोहरचन्द पुत्रान किशनलाल हि0 1/2, किशनीबाई पुत्री मन्नालाल हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 देह के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
--------	-------	----------------	-------	------	-------	------

2	खुरी	रमेशचन्द, लालचन्द, मोहरचन्द पुत्रान किशनलाल हि0 1/2 , किशनीबाई पुत्री मन्नालाल हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 का हिस्सा	1110	0.07 है0	चाही-1	2.59
			1312	0.27 है0	चाही -2	8.64
			1313 उत्तर	0.40 है0	बरानी-2	2.80
			1350 उत्तर	0.17 है0	बरानी-1	1.53
			1361	0.02 है0	बरानी-2	0.14
			1364 उत्तर	0.12 है0	बरानी-2	0.84
			1366	0.17 है0	बरानी-2	1.19
			कुल किता 7	1.22		17.73

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 125/2015

उनवान

1. मांग्या आयु 70 वर्ष पुत्र मन्ना जाति मेघवाल निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारा राज0।

वादी

बनाम

1. रमेशचन्द आयु 32 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल इन्द्रागांधी नगर पावर हाउस के पास डी0सी0एम0 कोटा।
2. लालचन्द आयु 25 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल पत्थर गली शंकर किराना स्टोर के पास बापू नगर बालिता रोड कुल्हाडी कोटा।
3. मोहरचन्द आयु 22 वर्ष पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी खुरी हाल पत्थर मण्डी बनवारी किराना स्टोर के सामने बापू नगर बालिता रोड कुल्हाडी कोटा राज0।
4. किशनी आयु 65 वर्ष पुत्री मन्ना पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल हाल बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
5. सुरज्या आयु 55 वर्ष पुत्री मन्ना पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी कोटड़ा तहसील बारां जिला बारां राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू की ख0नं0 1110 की 0.07 है0, 1124 की 0.07 है0, 1312 का 0.27 है0, 1313 की 1.06 है0, 1350 की 0.34 है0, 1361 की 0.02 है0, 1364 की 0.43 है0, 1366 की 0.17 है0 कुल कित्ता 8 की 2.43 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य तहसीलदार अटरू द्वारा हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. मांगीलाल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल सा0 देह के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
---------	-------	----------------	-------	------	-------	------

1	खुरी	मांगीलाल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल सा० देह का हिस्सा	1124	0.07 है०	चाही-1	2.59
			1313 दक्षिण	0.66 है०	बरानी-2	4.62
			1350 दक्षिण	0.17 है०	बरानी-1	1.53
			1364 दक्षिण	0.31 है०	बरानी-2	2.17
			किता 4	1.21 है०		10.91

2. रमेशचन्द, लालचन्द, मोहरचन्द पुत्रान किशनलाल हि० 1/2, किशनीबाई पुत्री मन्नालाल हि० 1/2 जाति मेघवाल सा० देह के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
2	खुरी	रमेशचन्द, लालचन्द, मोहरचन्द पुत्रान किशनलाल हि० 1/2, किशनीबाई पुत्री मन्नालाल हि० 1/2 जाति मेघवाल सा० का हिस्सा	1110	0.07 है०	चाही-1	2.59
			1312	0.27 है०	चाही -2	8.64
			1313 उत्तर	0.40 है०	बरानी-2	2.80
			1350 उत्तर	0.17 है०	बरानी-1	1.53
			1361	0.02 है०	बरानी-2	0.14
			1364 उत्तर	0.12 है०	बरानी-2	0.84
			1366	0.17 है०	बरानी-2	1.19
			कुल किता 7	1.22		17.73

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज०)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर

स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)